2021/810

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 2316/2021

वादी :– छोगाराम, उमाराम पि० बस्ताराम जाति कुम्हार नि० पचेरी

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–1 मांगाराम पि० हस्ताराम जाति कुम्हार सा० पाटोदी

2. भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती</u>

उपस्थिति :– 1. श्री वादीगण स्वंय वादी।
2..श्री स्वंय प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 29/11/21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 167/33 रकबा 21-11 बीघा, सरहद मौजा मोहनपुरा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम छोगा, उमा पि० बस्ता, मांगा वल्द बस्ता कौम कुम्हार होने से राजस्व रेकर्ड में इस प्रकार से दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम जमाबन्दी रजिस्टर [illegible] छोगाराम कौम कुम्हार हि. 3/4 मांगाराम पि० हस्ताराम हि. 1/4 [illegible] सा. पाटोदी अंकित है दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान [illegible] का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी [illegible] राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज छोगा, उमा पि० बस्ता, मांगा वल्द बस्ता कौम कुम्हार, के स्थान पर जमाबन्दी रजिस्टर में छोगाराम उमाराम पि० बस्ताराम कौम कुम्हार हि 3/4 मांगाराम पि० हस्ताराम हि. 1/4 कौम कुम्हार सा. पाटोदी अंकित है। सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:20:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम छोगा, उमा पि. बाला, मांगा वल्द बल्ला के स्थान पर उपरोक्तानुसार दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार पचपदरा तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 167/33 रकबा 91-11 बीघा, सरहद मौजा मोहनपुरा तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम छोगा, उमा पि बल्ला, मांगा वल्द बल्ला दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ~~समसीन~~ पारोरी एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम छोगा, उमा पि. बल्ला, मांगा वल्द बल्ला कौम कुम्हार दर्ज किया गया है वादी का सही नाम बेयान नामा, सत्रिद्री में छोगाराम, उमाराम पि० वल्लाराम कौम कुम्हार हि 3/4 मांगाराम पि० हस्ताराम हि 1/4 कौम कुम्हार सा- पारोरी अंकित है। है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 167/33 रकबा 91-11 बीघा, सरहद मौजा मोहनपुरा के छोगा उमा पि बल्ला, मांगा वल्द बल्ला के स्थान पर छोगाराम उमाराम पि० वल्लाराम कौम कुम्हार हि 3/4 मांगाराम पि० हस्ताराम हि. 1/4 कौम कुम्हार सा- पारोरी अंकित किया जावे।

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम उपरोक्तानुसार पुंत्र .... के स्थान पर उपरोक्तानुसार पुंत्र — ....खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 29/11/21 को कोर्ट केम्प कोर्ट बालोतरा में मजमे **आम में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:20:12 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट......जागावास...

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
छोगाराम, उमाराम पि. वस्लाराम जाति कुम्हार निवासी परेऊ तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1. मांगाराम पि. हस्ताराम जाति कुम्हार सा. परेऊ 2. भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ......स्वंय...... ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ......स्वंय...... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ......167/33...... रकबा ......31-11...... बीघा, सरहद मौजा ......मोहनपुरा ......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......छोगा, उमा पि. वस्ता, मागा वल्द वस्ता कौम कुम्हार...... पुत्र ...... के स्थान पर ...... पुत्र ...... खातेदार घोषित किया जाता है। छोगाराम, उमाराम पि वस्ताराम कोम कुम्हार हि 3/4. मांगाराम पि. हस्ताराम हि. 1/4 कोम कुम्हार सा. परेऊ अंकित किया जावे।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......29/11/21...... को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:20:12 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		